न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 145/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. राजाराम पुत्र श्री डुंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडीया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान 2. बंशीलाल पुत्र डुंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी तहसील सोजत		01. शिवलाल पुत्र सुकराराम 02. चेनाराम पुत्र सुकराराम 03 गणपत पुत्र सुकराराम 04 ढगलाई पत्नी सुकराराम जातियान घांची निवासी गण बिलाडीया दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी 05. कमलीदेवी पत्नी पप्पुराम पुत्री सुकराराम जाति घांची निवासी पावटी का बास, सोजत सिटी राजस्थान 06 सीतादेवी पत्नी जुगाराम पुत्री सुकराराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर, सोजत सिटी 07 सोहनलाल पुत्र गमाराम 08 उरजाराम पुत्र गमाराम जातियान घांची निवासीगण बिलाडीया दरवाजा के बाहर, सोजत सिटी 09. ओमाराम पुत्र गमाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया दरवाजा के अन्दर सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली 10. कन्हैयालाल पुत्र भंवराराम 11. रमेश पुत्र भंवराराम बीबी देवी पत्नी भंवराराम जातियान घांची निवासीगण बिलाडिया गेट के बाहर, सोजत सिटी 13. बिचकी देवी पत्नी सुजाराम पुत्री भंवरा राम जातियान घांची निवासीगण जोधपुरिया गेट के बाहर सोजत सिटी जिला पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 03/10/23

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जा सुदा मालिकाना हक की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम पटवार हल्का सोजत में प्रार्थीगण के पिता डुंगाराम की खातेदारी सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 373 रकबा 2.1500 हैक्टर आयी हुई है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु दिनांक 10.01.1972 को हो चुकी है। प्रार्थीगण की माता विद्यादेवी तथा बहिन सैणकी के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि के संबंध में संपूर्ण हक त्याग कर हकतर्क नामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। ऑनलाईन खातेदारी नही होने से जमाबन्दी की प्रति प्राप्त नही हो रही है। उक्त वादस्थ

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

भूमि पर डुंगाराम के स्थान पर प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता के मध्य आज से 55 वर्ष पहले मौखिक बंटवाडा हो चुका है। नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पिता के मध्य हुए बंटवाडा के अनुसार मार्क ए से डी प्रार्थीगण का हिस्सा तथा मार्क सी,डी,ई,एफ सुखराराम जी का हिस्सा मार्क ई,एफ,जी,एच गमाराम के वारिसान का हिस्सा तथा जी,एच,आई,जे, भंवराराम का हिस्सा है। अप्रार्थीगण 1 से 13 कृषि भूमि में आने जाने हेतु कदीमी से पूर्व दिशा मे स्थित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। अप्रार्थीगण की नियत खराब हो चुकी है जिससे वे प्रार्थी की उपजाउ भूमि हडपना चाहते है। प्रार्थीगण का पडताडीत कर उक्त कृषि भूमि को बेचने हेतु व रास्ता निकालने हेतु नाजायज दबाव डाल रहे है। अप्रार्थीगण प्राथीगण की हिस्से की जमीन को बेचान करने हेतु दबाव बना रहे है एवं ऐसा नही करने पर अप्रार्थीगण लाठी लकडी के बल पर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में नया रास्ता कायम कर हिस्सा कम कर देने की धमकिया देते है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सहरद मोजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 373 रकबा 2.1500 हैक्टर में वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा में मार्क ए से डी कृषि भूमि मे प्रार्थीगण के उपयोग , उपभोग, कब्जा, काश्त फसल अवरोई, कटाई, निदाण मे किसी प्रकार की बाधा अडचन पैदा नही करने / पुरानी बाड, माठ नही तोडने / फसल नष्ट नही करने एवं कृषि भूमि को खुर्द, बुर्द नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अधिवक्ता श्री गजेन्द्रदवे ने अप्रार्थी संख्या 01 से 13 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने वाद बिल्कुल गलत, निराधार, व कपोल कल्पित आधारो पर पेश किया है। सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 373 रकबा 2.1500 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की अवश्य आई हुई स्थित है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु एवं हकतर्क की जानकारी अप्रार्थीण को नही होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना के संलग्न खसरा संख्या 373 का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण ने जानबूझकर अप्रार्थीगण का हक हिस्सा व कब्जा गलत जगह पर दर्शित कर बंटवाडे का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अधिक कीमत की भूमि को हडप करने की नियत से अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुख्य मार्ग से जुडा हुआ दर्शित करते हुए एवं अप्रार्थीगण का हिस्सा पिछे बताकर नजरी नक्शा पेश किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का मौके पर हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त अवश्य चला आ रहा है। पैरा संख्या 04 मे बताये गये हिस्से गलत दर्शित है। जबाब प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा को अभिन्न भाग के रूप में पढा जावे। अप्रार्थीगण एक शांतिप्रिय लोग है। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की बाधा अडचन पैदा नही की है न ही अप्रार्थीगा प्राथीगण की भूमि को हडपना चाहते है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण प्रत्येक हक हिस्सा मुख्य रास्ते से जुडा हुआ है इसलिए रास्ता निकालने हेतु दबाव बनाये जोने का प्रश्न ही पेदा नही होता है। प्रार्थीगण जानबुझकर मौके पर विवाद उत्पन्न करने के उदेश्य से अपना सम्पूर्ण हिस्सा आम रास्ते पद दर्शित करते हुए नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य 55 वर्ष पूर्व बंटवाडा अवश्य हो .रखा है किन्तु जबाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार। अप्रार्थीगण के हक हिस्से मे मेहन्दी की फसल बो रखी है। अप्रार्थीगण माफिक जवाब प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण 50 से 55 वर्ष पूर्व हुए मौखिक बंटवाडा एवं मौके पर काबिज काश्त अनुसार बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने का कानूनन हक व अधिकार प्राप्त होने से प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में। अप्रार्थीगण एक काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र साधन कृषि भूमि है। यदि उसे रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीयक्षति होगी। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार होने व अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा काश्त होने से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। इस प्रकार जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि में आज से 55 वर्ष पहले हुए मौखिक बंटवाडा को नकराते हुए प्रार्थीगण के हक हिस्से में दखल अन्दाजी कर रहे है। प्रार्थीगण ने लाखो रूपये खर्च कर अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण माठ को खुर्द बुर्द कर दखल अन्दाजी कर रहे है जिन्है वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोका जावे। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से मौके पर कब्जे की स्थिति बता रहे है। अप्रार्थीगण आज भी 50 से 55 वर्ष पहले हुए मौखिक बंटवाडा अनुसार काबिज है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के प्रत्येक के हिस्से की भूमि मुख्य मार्ग पर आने से व्यवधान किए जाने का प्रश्न ही पेदा नही होता। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है जिन्है अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान करने का पूर्ण अधिकार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र तथा फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी की एक अविभाजित कृषि भूमि है। पक्षकारों द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार मौके पर काबिज होना स्वीकार किया है एवं तदोनुसार बंटवाडा किए जाने की भी ईश्तदुआ की है जिसमें मूल वाद में पक्षकारों के हक अधिकार का विनिश्चिय दस्तावेजो के आधार पर तनकियात कायत होकर/साक्ष्य उभयपक्ष रेकर्ड पर वाद विवेचन/विश्लेषण कर किया जावेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि वादस्थ भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है तथा जब तक विधिक बंटवाडा नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का कब्जा माना जाता है। यद्यपि पक्षकारो द्वारा अपनी सुविधा अनुसार मौके पर भूमि का विभाजन कर लिया जाता है, किन्तु उसे विधिक मान्यता अंतिम डिक्री जारी होने के पश्चात ही मिल सकती है। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेघाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/08/15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)